

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(राजकीय केन्द्रीय औषधि भण्डार)

पत्र सं०-8फ/आ०सी०-889/

लखनऊ : दिनांक 07 मई, 2017

"शुद्धि-पत्र"

वर्ष 2016-17 में केमिकल रिजेन्ट एण्ड लैब कन्ज्यूमेबिल्स के दर अनुबन्ध हेतु महानिदेशालय स्तर से आमंत्रित निविदा सं०-8फ/आ०सी०-881/126 दिनांक-07.04.2017 में बिन्दु संख्या-6 (Bidder Eligibility) के प्रस्तर-6.9 में संशोधन किया जाता है, कि नॉन ड्रग आइटम हेतु डिपो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

शेष नियम व शर्तें यथावत रहेगी।

पृष्ठांकन-8फ/आ०सी०-889/648-55

अपर निदेशक, (भण्डार)

तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित तिथि को तत्काल प्रकाशित करने का कष्ट करें। आ०ओ० नं०-
 2. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को महानिदेशालय के सूचना-पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
 3. इण्डियन ड्रग मैनुफैक्चरर एसोसियेशन, 102 पूनम चैम्बर, 'ए' विंग फर्स्ट फ्लोर डा०ए०बी० रोड वारली मुम्बई-400018
 4. बल्क ड्रग मैनुफैक्चरर एसोसियेशन, सी-25 इन्डसट्रियल स्टेट सनथ नगर हैदराबाद-500018
 5. ड्रग नियंत्रक, जगत नारायण रोड उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सभी राज्य के ड्रग नियंत्रकों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
 6. ओ०आई०सी०, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा का संशोधन विभागीय वेबसाइट पर तत्काल लोड करने का कष्ट करें।
 7. सम्बन्धित फर्म।
 8. गार्ड फाइल।

अपर निदेशक (भण्डार)